

अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुविभाग.....
जिला(म. प्र.)

महोदय,

निवेदन है कि मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण/शासन द्वारा देय अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत है:-

1. आवेदक का पूरा नाम (अ).....
आवेदक के पिता का पूरा नाम (ब).....
2. उस व्यक्ति का नाम एवं आवेदक से संबंध नाम.....
जिसके लिये प्रमाणपत्र की आवश्यकता है पिता का नाम
(उसका नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि) जन्म तिथि
आवेदक से संबंध.....
3. धर्म
4. जाति एवं उपजाति जाति
- उपजाति.....
5. निवास का पूरा पता
(ग्राम/नगर, पटवारी हल्का नम्बर, तहसील जिला सहित)
(अ) वर्तमान पता:
- (ब) स्थाई पता
6. आवेदक का परिवार मध्यप्रदेश में कब से निवासरत है?
7. यदि उक्त कॉलम न.-6 में उल्लेखित तिथि दिनांक 26-12-1984 के बाद की है तो-
(अ) मध्यप्रदेश में आने के पूर्व की स्थिति में निवास का पूरा पता
- (ब) उक्त तिथि को वहाँ निवास करने वाले परिवार के मुखिया का नाम और आवेदक से संबंध
- (स) यदि आवेदक ने मध्यप्रदेश में ही स्थान परिवर्तन किया है तो कहाँ-कहाँ रहे उसका पता एवं अवधि
8. राज्य शासन द्वारा घोषित की गई अन्य पिछड़े वर्गों की अनुसूची में जाति/उपजाति/वर्ग समूह का क्रमांक (यदि ज्ञात हो तो)
9. व्यवसाय- माता, पिता/पति यदि निम्नांकित में से कोई पद धारण करते हों तो जानकारी दी जाए:-

| | स्थिति | माता | पिता/पति |
|----|---|------|----------|
| क. | सर्वैधानिक पद | | |
| | पदनाम | | |
| ख. | शासकीय सेवा (केन्द्र/राज्य) | | |
| | पदनाम | | |
| | वेतनमान (श्रेणीकरण सहित, यदि हो तो) | | |
| | पद पर नियुक्ति की दिनांक | | |
| | प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के समय आयु | | |
| ग. | सार्वजनिक उपक्रमों आदि में सेवा | | |
| | संगठन का नाम | | |
| | पदनाम/श्रेणी | | |
| | वेतनमान | | |
| | पद में नियुक्ति की तिथि | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| घ. | अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन एवं यूनीसेफ आदि की सेवा | | |
| | संगठन का नाम | | |
| | पद नाम | | |
| | सेवा अवधि (तिथि अंकित करें दिनांक.....सेतक) | | |
| ड. | मृत्यु/स्थायी अक्षमता | | |
| | अधिकारी की मृत्यु/स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने से सेवा से हटने की तिथि | | |
| | स्थायी अयोग्यता का विवरण | | |
| च. | सशस्त्र सेना अथवा अर्धसैनिक बल (इस श्रेणी में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं जो सिविल पद धारण करते हैं।) | | |
| | पदनाम | | |
| | वेतनमान | | |

10. यदि व्यापार/उद्योग/व्यवसाय या अशासकीय सेवा करते हों तो उसका विवरण:-

| | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|---------|
| (क) | स्वयं का व्यवसाय (यदि वयस्क हैं तो) | | आय..... |
| (ख) | माता का व्यवसाय | | आय..... |
| (ग) | पिता/पति का व्यवसाय | | आय..... |

11. सम्पत्ति का स्वामी:-

| | | | |
|-------|---|-------|------------|
| (अ) | कृषि भूमि (माता, पिता एवं अवयस्क बच्चों के) स्वामित्व में | | |
| (i) | सिंचित भूमि का क्षेत्र | | स्थान..... |
| (ii) | असिंचित भूमि का क्षेत्र | | स्थान..... |
| (iii) | वृक्षारोपण का क्षेत्र | | स्थान..... |

(उपरोक्त को राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, जो तहसीलदार के पद से निम्न स्तर का न हों)

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| (ब) | शहरी क्षेत्र में अथवा शहरी जमाव (Urban agglomeration) में भवन सम्पत्ति अथवा भू-खण्ड:- | | |
| (i) | सम्पत्ति का स्थान | | |
| (ii) | सम्पत्ति का विवरण | | |
| (iii) | सम्पत्ति के उपयोग का प्रयोजन | | |

12. आय/सम्पत्ति (Income/wealth)

| | | |
|-------|---|--|
| (i) | सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय (कृषि वेतन एवं कृषि आय को छोड़कर) | |
| (ii) | क्या आवेदक करदाता हैं? (हाँ/नहीं) (यदि हाँ तो गत तीन वर्षों की आयकर विवरण की प्रति संलग्न की जाए) | |
| (iii) | क्या आवेदक पर सम्पत्ति कर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो विवरण दें | |
| (iv) | अन्य कोई विवरण | |

- टीप:- (1) जाति तथा निवास के प्रमाण हेतु संबंधित सरपंच/पार्षद/नगरीय निकायों के अध्यक्ष/विधायक/ सांसद में से किसी एक के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्य पिता/चाचा/ भाई/बहिन/दादा का जाति प्रमाण पत्र/शिक्षा संबंधी प्रमाणपत्र/शासकीय अर्धशासकीय सेवा का रिकार्ड/राशनकार्ड/अचल सम्पत्ति का रिकार्ड उदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। अन्यथा राजस्व अधिकारी पंचायत/वार्ड रिकार्ड से पुष्टि करें।
- (2) आवेदक/उनके पालक/अभिभावक स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि वे जिस जाति के प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं उसकी पात्रता रखते हैं। यदि किसी प्रकरण में यह साबित होता है कि आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई सुविधा से तत्काल वंचित किया जाए, उसकी ब्याज सहित वसूली की जाए और दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है एवं मैं अन्य पिछड़े वर्ग के क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) की परिधि में नहीं आता हूँ और इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण तथा अन्य घोषित सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता धारण करता हूँ। मैं भली-भांति जानता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो विधि एवं नियमों के अधीन उपरोक्त टीप के क्रमांक (2) में वर्णित कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

स्थान.....
दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं नाम

विशेष टीप- मूल अंग्रेजी आवेदन पत्र प्रारूप में पैरा 12 (i) में (कृषि वेतन एवं कृषि आय को छोड़कर) वाक्य के स्थान पर (वेतन एवं कृषि आय को छोड़कर) वाक्य मुद्रित है। (अंग्रेजी आवेदन www.obcguru.com पर उपलब्ध)

शपथ-पत्र/ घोषणा पत्र

नाम
पिता का नाम
आयु
जाति / (उपजाति सहित)
एवं सूची का क्र. (यदि ज्ञात हो तो)
धर्म
व्यवसाय
पता

मैं शपथपूर्वक कथन/घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 16(4) के अन्तर्गत जिला(मध्यप्रदेश) के लिये घोषित
..... पिछड़ा वर्ग जाति का सदस्य हूँ।
2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारीके समक्ष जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता/घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर